BCCI BULLETIN

Vol. 54 | December 2023 | No. 12

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश प्रकाश गुप्ता के निधन से व्यवसायी समाज मर्माहत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर रहे सुरेश प्रकाश गुप्ता का निधन दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को सुबह 9.00 बजे उनके आवास राजस्थान कॉलोनी, बंदर बगीचा, पटना में हो गया। वे पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। इस दुखद समाचार की जानकारी मिलते ही चैम्बर के वर्त्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों के साथ-साथ काफी संख्या में चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण उनके आवास पर गए और उनके परिजनों को सांत्वना दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने गुप्ता जी के निधन को चैम्बर के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि वे पिछले कई दशकों से लगातार चैम्बर से जुड़े थे। स्व. गुप्ता जी वर्ष 1991 से 1993 तक चैम्बर के कोषाध्यक्ष, 1999 से 2001 तक महामंत्री एवं 2004 से 2006 तक उपाध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। अपने कार्यकाल में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की समस्याओं के निदान हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे।

श्री पटवारी ने बताया कि गुप्ता जी चैम्बर के साथ-साथ अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े थे और अपनी सेवाएं प्रदान की है। उनका मिलनसार, विनम्र एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व था।

श्री पटवारी ने कहा कि स्व. गुप्ता का निधन राज्य के उद्योग एवं व्यापार के लिए अपूरणीय क्षति के साथ उनकी व्यक्तिगत क्षति भी है क्योंकि उनका एक सच्चा मित्र उनसे सदैव के लिए विलग हो गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं सद्गति प्रदान करें एवं परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर ने बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव में आये प्रवासी बिहारियों को किया सम्मानित

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। बाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, डॉ. सत्यजीत सिंह एवं श्री अजय कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सहभागिता में बिहार टाइम्स द्वारा आयोजित **'बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2023'** में भाग लेने आये प्रवासी बिहारियों के साथ आपसी विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को चैम्बर प्रांगण में किया गया तथा उनका सम्मान अंगवस्त्र एवं मेमेंटो भेंट कर किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने प्रवासी बिहारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी का सदैव स्वागत है और किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ बटाने पर चैम्बर सदैव हर प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दुनिया भर के बिहारी मूल के लोगों को एक मंच पर लाना है जिससे कि वे अपनी जड़ों से जुड़कर अपने गृह राज्य बिहार के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही इसके लिए साधनों का पता लगाकर प्रवासी बिहारियों को अवसर प्रदान करने में सहयोग करना है।

श्री पटवारी ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में एक दर्जन से अधिक देशों के प्रवासी बिहारी भाग ले रहे हैं यथा – अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडेन, यूएइ, सऊदी, कतर, जापान आदि देशों के प्रवासी बिहारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बिहार टाइम्स के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लगातार अपने स्तर से तो प्रयासरत है ही कि राज्य में अधिकाधिक लोग निवेश के लिए आगे आयें जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास हो और यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। चैम्बर इस प्रकार कार्यों में लगे अन्य संगठनो को भी हर सम्भव सहयोग करता रहता है।

प्रवासी बिहारियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कॉन्क्लेव की अवधि जो एक साल पर होती है वह बराबर होते रहनी चाहिए, चैम्बर प्रवासियों के लिए एक प्लेटफार्म दे जिससे बिहार के उत्थान के लिए एक्शन प्लान का सही ढंग से अनुपालन हो सके साथ ही इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने कि आवश्यकता है जो इस काम में सहयोग कर सके। कॉन्क्लेव में लिए गए निर्णयों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिये और उनका कार्यान्वयन होना चाहिए, इसमें बिहार सरकार को भी आगे बढकर सहयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। प्रवसियों ने बताया कि बिहार के लिए हमलोग बहुत कुछ करना चाहते हैं परन्तु कहाँ क्या करें इस पर मार्गदर्शन कि आवश्यकता है, इसमें चैम्बर एवं सीआईआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि आईडिया अच्छा होगा तो धन की कमी नहीं होगी।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश प्रकाश गुप्ता जी का निधन दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को हो गया। स्व0 गुप्ता चैम्बर के कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री का पद भी सुशोभित कर चुके थे । स्व0 गुप्ता कई साल से बीमार चल रहे थे। गुप्ता जी के निधन से मैने अपना एक सच्चा और हितैषी मित्र खो दिया है।

दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज कि सहभागिता में बिहार टाइम्स द्वारा आयोजित **'बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2023'** में भाग लेने आए प्रवासी बिहारियों के साथ आपसी विचार–विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया तथा इस अवसर पर प्रवासियों को चैम्बर की ओर से सम्मानित भी किया गया।

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में कोरोना के कारण बन्द किए गए सिलाई–कटाई, ब्यूटिशियन एवं कम्प्यूटर कोर्स को पुनः निःशुल्क प्रारम्भ किया गया है जिसका शुभारम्भ दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को हुआ।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को माननीय वित्त मंत्री, की अध्यक्षता में करारोपण प्रक्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श हेतु बजट पूर्व एक बैठक आयोजित की गई जिसमें चैम्बर की ओर से ज्ञापन समर्पित किया गया। इस बैठक में मेरे अलावा उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री रवि गुप्ता, श्री अभिजीत बैद एवं श्री राजेश कुमार माखरिया शामिल थे।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को माननीय वित्त मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में उद्योग प्रक्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श हेतु बजट पूर्व एक बैठक आयोजित की गई जिसमें चैम्बर की ओर से ज्ञापन समर्पित किया गया। इस बैठक में मेरे अलावा उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कमिटि के संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा सम्मिलित हुए।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 87वीं त्रैमासिक बैठक पहली बार पटना से बाहर मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 20.12.2023 को हुई। उक्त बैठक में माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बैंकों से कहा कि जरूरतमंदों को समय पर लोन दें। **बैठक में सीडी रेश्यों की भी समीक्षा की गयी जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पी.एन.बी. एंव यूको बैंक का सीडी रेश्यों 45 प्रतिशत से कम पाया गया । चैम्बर सदैव सीडी रेश्यों पर सरकार एवं बैंकों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इसके अलावे उद्योगों को समय पर लोन देने का आग्रह भी करता रहा है।**

GST Council ने छोटे व्यावसायियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद् ने जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ाकर जहाँ दोगुना कर दिया है, वहीं 2 करोड़ रूपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को अब फार्म GSTR-9 भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे लाखों कारोबारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार करना और सरल होगा। **चैम्बर द्वारा ऐसी मांग काफी समय से की जा रही थी। अब भी कुछ विसंगतियाँ हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है।**

उद्योग विभाग की ओर से राज्य के वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास हेतु Bihar Logistic Policy 2023 लाया गया है। लॉजिस्टिक सेक्टर में वेयर हाउसिंग, सिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस कार्गो एवं अन्य Value-added Services आता है। Bihar Logistic Policy की प्रति माननीय सदस्यों को भेजी जा चुकी है।

उद्योग विभाग द्वारा खगड़िया में परबत्ता में 100.00 एकड़ भूमि, मधेपुरा में चौसा में 146.00 एकड़ भूमि एवं गया के मानपुर में 23.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

राज्य में 1 अप्रैल, 2024 से बिजली की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को याचिका समर्पित किया है जिसमें 4.38 प्रशित की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। आयोग द्वारा 19 जनवरी, 2024 से इस पर पटना के साथ–साथ राज्य के विभिन्न भागों में जन सुनवाई होगी। **आप भी अपनी ओर से तैयारी रखें ताकि बिजली की दरों में वृद्धि न होने पाये।**

बन्धुओं, कोरोना के नये वेरियन्ट जीएन–1 और चीनी इन्फ्लूएंजा के आलोक में केन्द्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और कोरोना के समय की तरह व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। वैसे यह उतना भयावह नहीं है फिर भी सतर्क रहना आवश्यक है। **दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी को सदा अपनाना चाहिए। जान है तो जहान है ।**

आप सभी बन्धुओं को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं।

सादर,

आपका
सुभाष पटवारी
अध्यक्ष

निगम करेगा ऑनलाइन म्यूटेशन व नामांतरण

अब शहरवासियों को नगर निगम ऑनलाइन म्यूटेशन और नामांतरण की सुविधा देगा। मेयर सीता साहू 14 दिसम्बर, 2023 को पटना नगर निगम मुख्यालय से इसकी शुरूआत करेंगी। इस नयी सेवा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपनी खरीदी गयी किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन के लिए आवेदन दे सकेगा। साथ ही माता–पिता या किसी परिजन की मृत्यु के बाद लोग उनकी संपत्ति का नामांतरण भी अपने नाम पर करवा सकेंगे। पहले इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसमें भाग–दौड़ अधिक होती थी। इसके कारण कई लोग इच्छा होने के बावजूद भी म्यूटेशन या नामांतरण के लिए आवेदन नहीं करते थे या करते भी थे तो लंबे समय तक वह लंबित पड़ा रहता था। लेकिन अब ऑनलाइन सेवा में अधिकतम समय सीमा तय कर देने के कारण इससे भी उन्हें राहत मिलेगी और मामले का निबटारा जल्द होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर 13.12.2023)**

कार्यक्रम में उपस्थित प्रवासी बिहारीगण, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रवासी बिहारीगण एवं सदस्यगण।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रवासी बिहारीगण एवं सदस्यगण।

बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार ने कॉन्क्लेव-2023 को सफल बनाने एवं हर संभव सहयोग के लिए चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त किया।

बैठक में प्रवासी बिहारियों में श्री आलोक कुमार, श्री शरद मोहन, श्री प्रकाश कुमार झा, श्री संदीप वर्मा, श्रीमति रीना गुप्ता, श्री संजीव सिंह, श्री हर्षवर्धन, श्री सुधांशु कुमार, श्री अरुण कुमार, श्री रतन प्रकाशठा, श्री संजीव मिश्रा, श्री विनय कुमार सिंह, श्री विकाश रंजन, श्री सुजीत प्रसाद, श्री अजय झा, श्रीमति सुषमा सिंह, श्री सिडने ओल्सन, श्री सिद्धांत वत्स, श्री कैलाश चन्द्र झा, श्री यदुवंद किशोर, श्री संजीव शर्मा, मो. बेलाल अहमद खां, मो. ओबैदुर रहमान, मो. शकील अहमद कालवी, श्री रत्नेश चौधरी आदि सम्मलित हुए। बैठक में चैम्बर कि ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पवन भगत, श्री राजेश जैन, श्री अजय कुमार, श्री अशोक कुमार के साथ-साथ काफी संख्या में सदस्य सम्मलित हुए। महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत बैठक का समापन हुआ।

राज्य वेयर हाउसिंग एवं लौजिस्टिक क्षेत्र के विकास हेतु **बिहार लौजिस्टिक पॉलिसी-2023 (Bihar Logistics Policy–2023)** का सूत्रण किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर, 2023 की प्रति माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ ई-मेल द्वारा एवं ह्वाट्सएप के माध्यम से भेजी गयी है।

लौजिस्टिक सेक्टर में वेयर हाउसिंग, शिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस कार्गो एवं अन्य मूल्यवद्धित सेवाएं शामिल हैं।

जिन सदस्यों को यह गजट अधिसूचना नहीं मिली हो, वे उसे प्राप्त करने हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें।

प्रिय बन्धुओं,

इस वर्ष चैम्बर अध्यक्ष ने लाइब्रेरी एण्ड बुलेटीन सब कमीटी के संयोजक का गुरूतर भार मुझे पुन: सौंपा है। परन्तु बुलेटीन के प्रकाशन एवं लाइब्रेरी की बेहतरी आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन के बिना सम्भव नहीं है।

लाइब्रेरी एण्ड बुलेटीन को अधिाक बेहतर एवं उपयोगी बनाने हेतु आपके सक्रिय सहयोग, सुझाव एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा है। कृपया अपने सुझावों से हमें अनुगृहित करें।

सादर,

आपका

सुबोध कुमार जैन

संयोजक

लाईब्रेरी एण्ड बुलेटीन सब कमीटी

बिहार में उद्यमियों के अनुकूल माहौल, सरकार हर सुविधा दे रही : नीतीश

बिहटा की 30 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12.12.2023 को बिहटा के सिकंदरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक क्षेत्र) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहाँ की 30 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिहार में उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल है। राज्य सरकार उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधाएँ मुहैया करा रही है।

सीएम ने कहा कि राज्य के युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरूआत की गई है। यहाँ सभी वर्गो के लोग उद्यम की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। 'प्लग एंड प्ले शेड' मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों तथा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने कहा कि इससे रोजगार के और अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इकाइयों का उद्घाटन हुआ है। वर्ष 2011 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रथम इकाई हाजीपुर में स्थापित की गई थी। आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई का उद्घाटन हुआ है और उत्पादन कार्य भी शुरू हुआ है। यह जितना अधिक आगे बढ़ेगा उतना ही बेहतर होगा।

उत्पादन से जुड़ीं हर सुविधाएँ दी जा रही : सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी हर सुविधाएँ हैं। पानी-बिजली, इंटरनेट के अलावा बने हुए शेड भी मुहैया कराये गये हैं। उद्यमियों ने उत्पादन के लिए सिर्फ मशीन लगाई है। 12.50 करोड़ की लागत से 37 हजार 445 वर्गफीट में बने प्लग एंड प्ले की सुविधा है।

केसरिया को पर्यटकीय सुविधाओं की सौगात : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया को पर्यटकीय सुविधाओं की सौगात दी। उन्होंने 26.67 करोड़ की योजनाओ का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 19.77 करोड़ से बनने वाले टूरिस्ट फैसिलिटी का शिलान्यास व मार्गीय सुविधा केन्द्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.12.2023)**

चैम्बर की ओर से निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन एवं कम्प्यूटर क्लास पुनः प्रारम्भ हुआ

प्रशिक्षण केन्द्र का फीता काट कर संयुक्त रूप से उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, संयोजक श्री अजय कुमार एवं अन्य।

सिलाई प्रशिक्षण लेती महिलाएँ। प्रशिक्षण का अवलोकन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, संयोजक श्री सुधी रंजन एवं श्रीमती गीता जैन (समन्वयक)।

ब्युटीशियन कक्ष का अवलोकन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री राकेश कुमार संयोजक श्री अजय कुमार एवं श्री सुंधी रंजन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में एक बार पुनः सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण क्लास दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को प्रारम्भ हुआ।

इसका उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि चैम्बर की ओर से निःशुल्क संचालित कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अधिकाधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था ताकि वे स्वावलम्बी बने और अपने परिजनों का भरण -पोषण बेहतर ढंग से कर सकें।

श्री पटवारी ने आगे कहा कि देश में कोरोना महामारी के कारण सरकार के निर्देशानुसार प्रशिक्षण केन्द्र को मार्च 2020 से बन्द कर दिया गया था। अब स्थिति सामान्य होने पर पुनः उसी उर्जा के साथ प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः शुरू किया जा रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन एवं कम्प्यूटर क्लास में जो भी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं, वे कार्यालय अवधि में आकर फार्म प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण एवं अन्य।

फिजियोथेरापी सेंटर का अवलोकन करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण एवं अन्य।

सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन एवं कम्प्युटर कोर्स के प्रशिक्षणार्थीगण।

सिलाई-कटाई, बयुटीशियन एवं कम्प्युटर कोर्स के प्रशिक्षणार्थीगण।

उद्घाटन के अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री राकेश कुमार, श्री राजेश कुमार मखारिया, श्री आशीष प्रसाद, मोहम्मद बहजाद करीम, श्री मुकेश कुमार, श्री अखिलेश कुमार, श्री सुधि रंजन, श्री मुनेश जैन, श्रीमती गीता जैन सहित कई सदस्य शामिल हुए।

बिस्कुट उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी सीएम ने ली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा के सिकंदरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक क्षेत्र) का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रिटनिया इंडस्ट्रीज का भी निरीक्षण किया और वहाँ हो रही बिस्कुट उत्पादन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली और उसे देखा।

मौके पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वरूण बेरी ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिहन भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिसर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक, पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह आदि उपस्थित थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.12.23)**

बिहटा में टी-शर्ट और ट्रैक सूट भी बनेगा

मुख्यंत्री उद्यमी योजना के तहत संचालित 30 इकाइयों को उद्घाटन हुआ। योजना के अंतर्गत बिहटा में 34 लाभुकों की बियाडा द्वारा शेड आवंटित किया गया है।

इनमें 11 अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग के चार, महिला उद्यमी योजना की सात तथा युवा उद्यमी योजना के 12 लाभुक शामिल हैं, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ 38 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी के द्वारा टी-शर्ट, लेगिंस, ट्रैकसूट, कैप्री, टॉप एवं अन्य परिधान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 3.36 लाख वर्गफीट का सात अन्य प्लड एंड प्ले भवन बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 108 करोड़ है। इधर, सीएम ने बिहटा के सिकंदरपुर में स्थापित इकाइयों का निरीक्षण किया और कार्य पद्धति की जानकारी ली। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौन्ड्रिक ने मुख्यमंत्री को साइट प्लान के जरिए सिंकदरपुर औद्योगिक क्षेत्र परिसर में स्थापित होनेवाली इकाइयों और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।

मौके पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला/युवा उद्यमी योजना के तहत मुख्यमंत्री ने लाभुकों को दूसरी किस्त का चेक वितरण किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने भोजपुर इंटरप्राइजेज, आस्था टेक्सटाइल्स, प्रियंका इंटरप्राइजेज एवं आनंद इंटरप्राइजेज को तीन-तीन लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.12.2023)**

राज्य में 3000 से अधिक फैक्ट्री अब पीएनजी से चलेगी, इससे प्रदूषण कम होगा, 13 करोड़ को मिलेगी स्वच्छ हवा

राज्य के करीब 13 करोड़ की आबादी को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने योजना बनाई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर पूर्णिया सहित राज्य के सभी जिलों में स्थित करीब 3000 से अधिक फैक्ट्री को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) से चलाया जाएगा। इसकी शुरूआत पटना के पाटलीपुत्र औद्यौगिक क्षेत्र और फतुहा से की गई है। पहले फेज में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित 11 फैक्ट्री मालिक को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यहाँ कोका कोला कंपनी को

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने चैम्बर के पदाधिकारियों से किया विचार-विमर्श

मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-III के तहत भारतीय विदेश सेवा के दो अधिकारी श्री रणधीर कुमार जायसवाल एवं श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल बिहार भ्रमण के क्रम में दिनांक 19.12.2023 को चैम्बर प्रांगण में चैम्बर के पदाधिकारियों से मिले एवं राज्य के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अंग-वस्त्र एवं पुष्प-पुच्छ से सम्मानित किया एवं चैम्बर का हेण्ड बुक भेंट किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन उपस्थित थे।

पीएनजी में कन्वर्ट किया गया है। पटना का यह मॉडल सभी जिले में लागू होगा। सभी जिलों में नई फैक्ट्री स्थापित करने वालों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएनजी का ही इस्तेमाल करेंगे।

पीएनजी का फायदा : डीजल की तुलना में 10 गुना कम होगा कार्बन का उत्सर्जन

एक्यूआई लेवल 400 से अधिक पहुँच जाता है : ठंड के दस्तक देते ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस मामले में कई जिले देश के टॉप शहरों में शामिल होते रहे हैं। पटना, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, छपरा सहित अन्य जिलों में एक्यूआई 400 से अधिक पहुँच जाता है।

फैक्ट्री मालिकों के लिए डीजल से सस्ता विकल्प : फैक्ट्री मालिक को डीजल की तुलना में पीएनजी सस्ता मिलेगा। पीएनजी देने के लिए गेल कंपनी की ओर से पाटलिपुत्र और फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में पाइप बिछाने का काम चल रहा है।

विशेषज्ञ बोले-हवा से हल्की होती है पीएनजी : वायु प्रदूषण विशेषज्ञ रवि रंजन सिन्हा के मुताबिक पीएनजी के इस्तेमाल से डीजल की तुलना करीब 10 गुण कम कार्बन का उत्सर्जन होगा। पीएनजी हवा से हल्की होती है। आग लगने की संभावना भी कम हो जाती है।

फैक्ट्रियों को लिखित निर्देश दिया : "फैक्ट्री मालिकों को पीएनजी के इस्तेमाल को लेकर लिखित निर्देश दिया गया है।

– एस. चन्द्रशेखर, सचिव, पॉल्यूशनन कंट्रोल बोर्ड, बिहार

पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा : पीएनजी सप्लाई देने का काम चल रहा है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है।

– ए. के. सिन्हा, जीएम, गेल पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.12.2023)

कारखानों में कामगारों को सुरक्षा देने की तैयारी में जुटा श्रम संसाधन विभाग

बिहार में अधिक जोखिम वाले कारखानों के लिए बनेगी नीति

राज्य के अधिक जोखिम वाले कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनेगी। श्रम संसाधन विभाग इसकी कवायद में जुट गया है। विभाग की कोशिश है कि अधिक जोखिम वाले कारखानों में काम करने वाले कामगारों का जान-माल सुरक्षित रहे।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में निबंधित कारखानों की संख्या 8879 है। इन कारखानों में 2 लाख 43 हजार 658 श्रमिक कार्यरत हैं। इसमें से जोखिम के उद्योग/कारखानों की संख्या 101 है। सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 31 है। स्थल आकलन समिति द्वारा अनुशंसित कारखानों की संख्या चार जबकि सरकार द्वारा दो कारखानों की स्थापना की गई है। राज्य में कुल 196 कारखानों के कारखना भवन मानचित्र को अनुमोदित किया गया है। 400 कारखानों का निबंधन कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-छह के तहत किया गया है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखाना निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण की संख्या 136 है। कारखाना में काम करने वाले कामगारों की संख्या की सुरक्षा के लिए कारखाना निरीक्षकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर साल 16 सितम्बर को श्रमिक कल्याण दिवस का आयोजन किया जाता है। समय-समय पर ऐसे कारखानों में सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल किए जाते हैं। उच्च जोखिम वाले कारखानों में 225 से अधिक बार मॉकड्रिल किया जा चुका है। साथ ही कारखानों में सुरक्षा दिवस/सप्ताह भी मनाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के बावजूद विभाग का मानना है कि अधिक जोखिम वाले कारखानों में काम करने वाले कामगारों की और बेहतर सुरक्षा जरूरी है। इसलिए विशेष नीति बनाने का निर्णय लिया गया है।

बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री को दिए कई सुझाव

चैम्बर ने कहा- कोयला से पीएनजी पर शिफ्ट उद्योगों को वैट से छूट दी जाए

पुराना सचिवालय में को बजट पूर्व बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को कई सुझाव दिए। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। चैम्बर द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को सुनने के बाद उनके निदान के लिए विभाग की ओर से पहल करने का मंत्री ने आश्वासन दिया। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष आशीष शंकर और प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुबोध जैन, विशाल टेकरीवाल, अभिजीत वैद शामिल हुए।

चैम्बर ने ये सुझाव दिए : • जो उद्योग कोयला से पीएनजी पर जा रहे हैं, उन्हें वैट से छूट मिले • जीएसटी न्यायाधिकरण जब तक ट्रिब्यूनल सक्रिय नहीं हो जाए, तब तक करदेयता की जबरन वसूली पर रोक लगे • बिहार पेशा कर अधिनियम को पूर्ण रूप से हराने या दुकान और प्रतिष्ठान से जोड़ने पर विचार हो • इकोनोंमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम गुप के लिए फ्लैट की दर 1700 रुपए प्रति वर्गफीट तय कर दिया गया है। इसमें सुधार हो • हाइपोथैकेशन चार्ज को पूर्व की तरह किया जाना चाहिए • जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने वैट और वैट पूर्व टैक्स प्रणाली के अंतर्गत लंबित विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्णय लिया है। इसे शीघ्र लाया जाना चाहिए।

(साभार : दैनिक भाष्कर, 22.12.2023)

नई नीति में होगा यह : अधिक जोखिम वाले कारखानों के लिए बनाई जा रही नई नीति में कामगारों की सुरक्षा का उच्चतर स्तर का प्रावधान किया जा रहा है। काम के घंटे और विश्राम की अवधि तय की जा रही है। कारखानों में सुरक्षा के साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इंडस्ट्रियल हाईजीन लैब से संबंधित आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले उद्येगों को जीआईएस मैपिंग की जाएगी। कामगारों को बैंक खाते में वेतन भुगतान का प्रावधान किया जा रहा है। श्रमिकों को सरकार को ओर से तय मजदूरी का भुगतान हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। कामगारों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। इन कारखानों में सुरक्षा पदाधिकारी, फैक्ट्री मेडिकल, ऑफिसर व श्रम कल्याण पदाधिकारी नियोजित होंगे। वहीं अनिबंधित कारखाना संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.12.2023)**

उद्योग लगाने के लिए 269 एकड़ भूमि आवंटित की गई

राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि राज्य में रोजगार व उद्योग की स्थापना के लिए विभिन्न उद्योगों को अबतक पूरे राज्य में 269 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

जिसमें सबसे ज्यादा मधेपुरा में 146 एकड़, गया में 23 एकड़ और खगड़िया जिले के परबत्ता में 100 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 1238 एकड़, पश्चिम चम्पारण में जमीन मुहैया कारायी गयी है। गया में 636 एकड़ अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर के लिए जमीन उपलब्ध करायी गई है। आने वाले समय में 26 तरह के राजस्व दस्तावेज को डिजिटल मुहैया कराने की योजना है। मेहता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.12.2023)

एथनॉल उत्पादन में गन्ने के रस का उपयोग नहीं करेंगी चीनी मिलें

सरकार ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू खपत के लिए इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलों को पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथनॉल उत्पादन को गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। खाद्य मंत्रालय ने को सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) व मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीइओ) को लिखे पत्र में कहा है कि बी-हेवी शीरे से तेल विपणन कंपनियों को एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी।

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को निर्देश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से इएसवाई (एथनॉल आपूर्ति वर्ष) 2023-24 में एथनॉल के लिए गन्ने के रस/चीनी के रस का उपयोग न करें। सरकार ने कहा है कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बी-हेवी शीरे से प्राप्त एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 8.12.2023)**

एथनाल बनाने पर रोक से चीनी मिलों की बढ़ी बेचैनी

कम चीनी उत्पादन की आशंका से केन्द्र सरकार ने चालू पेराई सत्र में चीनी मिलों को गन्ने के रस से एथनाल बनाने पर रोक लगा दी है। इस निर्देश से चीनी मिलों की बेचैनी बढ़ गई है। कारण यह कि चीनी मिलों ने एथनाल प्लांट लगाने में करोड़ों रुपये का निवेश कर दिया है। उधर, केन्द्र सरकार का तर्क है कि गन्ना पेराई सत्र 2023-24 व एथनाल आपूर्ति वर्ष में गन्ने के रस से सिरप व एथनाल उत्पादन पर रोक से चीनी का उत्पादन बढ़ेगा। महंगाई पर रोक लगेगी। ऐसे में चीनी की कीमत में वृद्धि रोकने एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल से बिहार के नौ चीनी मिलों कठिनाई बढ़ गई है।

बीसीसीआई ने वित्त और उद्योग मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में उद्योग विकास पर की चर्चा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उद्योग प्रक्षेत्र विषय पर हुआ कार्यक्रम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से बजट से पूर्व पुरानी सचिवालय के सभागार में उद्योग प्रक्षेत्र विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता एवं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की उपस्थिति में हुई।

चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बजट से पहले बैठक में प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान दिलाया जिसमें मुख्य रूप से कोल्ड स्टोरेज के प्रमोशन के लिए कोल्ड स्टोरेज को विद्युत की आपूर्ति एग्रीकल्चर के लिए निर्धारित विद्युत की दरों के समान ही करने, सरकार की ओर से कोयला से पीएनजी में कन्वर्ट होनेवाले उद्योगों के लिए सब्सिडी का प्रावधान करने, उद्योग विभाग की ओर से उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने, उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित लंबित मामले को निपटारा जल्द करने, बिहार में औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए 2024-2025 के बिहार बजट में उद्योग विभाग का बजट 10,000 करोड़ करने समेत कई मांग शामिल हैं।

उन्होंने सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की बड़ाई करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर-सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए 55% राशि सब्सिडी के रूप में देने की योजना लागू की थी। इन्हें आगे भी लागू रखना चाहिए।

बैठक में बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला, भागलपुर, गया, नंदनगढ, लौरिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग भी की गई।

इस बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य आशीष प्रसाद एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उप समिति के संयोजक ए. के. पी. सिन्हा उपस्थित थे।

(साभार : दैनिक भाष्कर, 23.12.2023)

अब चीनी मिलों का कहना है कि रोक की मार किसानों को झेलनी होगी। कारण यह है कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी तो गन्ने की कीमत बढ़ाने में कठिनाई होगी। चीनी मिलों की बढ़ी दुश्वारियों पर बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव नरेश भट्ट का कहना है कि वर्तमान में नौ चीनी मिलें बिहार में संचालित हैं। इनमें पाँच मिल लौरिया, सुगौली, हरिनगर, नरकटियागंज एवं मझौलिया ने गन्ने के रस से एथनाल बनाने के लिए प्लांट लगा रखा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.12.2023)

बिहार का स्मार्ट मीटर मॉडल दूसरे राज्य अपनाएँगे

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की सफलता की कहानी दिखाई गई। अब तक 21 लाख 89 हजार मीटर लगाकर देश में अव्वल बने बिहार ने इसके सामाजिक व वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया। बिहार देश का इकलौता राज्य है जो सभी तरह के उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर दिखाए गए प्रेजेंटेशन की बैठक में सराहना मिली और अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ इसे लगाने की बात कही।

बैठक में बिहार सरकार की ओर से एक मात्र पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पर हुआ।

उपभोक्ताओं को लाभ : स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को तीन फीसदी की छूट दी जा रही है। डिसकनेक्शन या रि-कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उपभोक्ता खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पूर्व का बकाया 300 दिनों में लिया जा रहा है। उपभोक्ता रोजाना खपत की जानकारी ले रहे हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.12.2023)

दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन,
300 कंपनियों ने बिहार में निवेश में दिखायी रुचि

50,530 करोड़ के निवेश का करार,

सीएम बोले- बिहार में काम करिए, हर मदद का दिया भरोसा

26,429 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर पहले दिन एमओयू हुए थे • 24,045 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दूसरे दिन आये

दूसरे दिन निवेश : • 13,836 करोड़ जनरल मैन्युफैक्चरिंग • 8,009 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण • 2,200 करोड़ सर्विस सेक्टर • 8,700 करोड़ का निवेश करेगा अदानी ग्रुप • 60,000 से अधिक पेशेवर को मिलेगा प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार

दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 (ग्लोबल इन्वेस्टर समिट) राज्य के लिए उम्मीदों भरा रहा। दो दिनों में तीन सौ कंपनियों के साथ कुल 50,530 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। समिट के दूसरे दिन 24,045.15 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आये। पहले दिन 26,429 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किये गये थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग विभाग ने एमओयू किये। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों से कहा कि बिहार में में काम करिये,हर संभव मदद करेंगे।

समिट में अदानी ग्रुप ने घोषणा की कि बिहार में वह आगामी समय में 8700 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। बिहार में सर्वाधिक निवेश मैन्युफैक्चरिंग और खाद्य प्रसंस्करण में आये हैं। इन निवेशों के धरातल पर आने पर राज्य में करीब 50-60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की

चैम्बर अध्यक्ष ने रूम्स रॉयल के एक्सक्लूसिव स्टोर का किया उद्घाटन

विश्व के नामचीन ब्रॉंड्स के टाइल्स और सेनेटरी उत्पादों के विक्रेता 'रूम्स रॉयल' के एक्सक्लूसिव स्टोर का उद्घाटन दिनांक 10.12.2023 को चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने किया।

यह स्टोर पटना के किदवईपुरी स्थित रश्मि कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड में खुला है। इस अवसर पर रूम्स रॉयल्स के निदेशक श्री धनश्याम पटवारी एवं श्री वेदांत पटवारी भी उपस्थित थे।

संभावना है। सबसे अधिक 13,836.15 करोड़ जनरल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव आये। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब आठ हजार करोड़ और सर्विस सेक्टर में करीब 22000 करोड़ के निवेश के एमओयू पर दस्तखत किये गये।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्यमियों ने कहा, बिहार में निवेश के लिए अनुकूल माहौल : इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम लॉजिस्टिक पार्क का लोकार्पण किया, कार्यक्रम के दौरान अदानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अदानी, नाहर ग्रुप इंडस्ट्री के अध्यक्ष एवं सीएमडी कमल ओसवाल, एएमडी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हंसमुख रंजन ने बिहार में अपनी-अपनी कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सभी ने मुख्यमत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किये जा रहे कामों की प्रशंसा की। शिक्षा, नारी सशक्तीकरण, सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि बिहार में काफी बदलाव आया है और यहाँ निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। निवेशकों ने बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए हमलोगों को मौका दे रही है। कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पाँड्रिक ने बिहार में उद्योग लगाने की सभावनाओं को लेकर एक प्रैजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व विभिन्न कंपनियों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके उत्पादों एवं कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

(विस्तृत : प्रभात खबर 15.12.2023)

तकनीकी कारणों के चलते लंबे समय से अटके मामलों को तेजी से निपटा रहा विभाग

चार वर्षों से लंबित आयकर रिफंड 31 जनवरी तक मिलेगा

तकनीकी कारणों से अटके आयकर रिफंड के मामलों में करदाताओं को राहत मिलने जा रही है। विशेषकर उनके लिए जिन्हें पिछले चार आकलन वर्षों के लिए रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग इन मामलों को तेजी से निपटाते हुए 31 जनवरी 2024 तक संबंधित करदाताओं के खाते में बकाया राशि जारी कर देगा। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

विभाग के अनुसार, कई करदाताओं के आयकर रिटर्न (आईटीआर) को समय सीमा खत्म होने की वजह से प्रोसेस नहीं किया जा सका था। वहीं, कुछ मामलों में आईटीआर में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी इनका सत्यापन नहीं हो सका। इसके चलते करदाताओं के रिफंड दावे निपटाए नहीं जा सके।

इन शर्त्तों को पूरा करना होगा : विभाग के अनुसार, पुराने मामलों में रिफंड तभी जारी किया जाएगा, जब आईटीआर में करदाता द्वारा की गई गणना आयकर विभाग की गणना से मेल खाती हो। आयकर विभाग द्वारा रिफंड मंजूर होते ही करदाता को ई-मेल भेजकर सूचित किया जाएगा। उन्हें आयकर रिफंड 31 जनवरी 2024 तक जारी कर दिया जाएगा। विभाग के आदेश के अनुसार सबसे पहले उन लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए रिफंड नहीं मिला है। इसके बाद आकलन वर्ष 2020-21 के मामलों को लिया जाएगा।

दान की फर्जी रसीद लगाने वालों को नोटिस : आयकर विभाग उन आयकर रिटर्न की दोबारा जाँच कर रहा है, जिनमें चैरिटेबल संस्थाओं और राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर कर छूट का दावा किया गया है। कुछ मामलों में दान की रसीद फर्जी पाई गई है। विभाग ने इन करदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग ने ये नोटिस आयकर की धारा 138 और 148 (ए) के तहत जारी किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से विभाग ने उन लोगों की पहचान की है, जिनकी आय और दान का अनुपात सही नहीं लगता है। उनसे नोटिस में वाजिब कारण पूछा गया है। जिन मामलों में कर छूट की रशि बड़ी है, उनसे दोबारा संशोधित रिटर्न दाखिल करने को कहा गया है।

नौ माह की समय सीमा : मौजूदा नियमों के अनुसार, विभाग को वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर आईटीआर को प्रोसेस कर रिफंड जारी करना होता है।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर 31 दिसम्बर 2023 तक प्रोसेस होंगे। इससे पहले विभाग को वित्त वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष का समय मिलता था, जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया था।

इन कारणों से अटका : 1. जिन व्यक्तियों के आईटीआर की जाँच होनी है 2. आईटीआर किसी तकनीकी कारण से प्रोसेस नहीं हो पाई 3. आईटीआर में ज्यादा रिफंड का दावा किया गया हो

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.12.2023)

सरकार सभी व्यवसायों में ई-बिल अनिवार्य करेगी

'व्यवसाय से उपभोक्ता' लेनदेन पर लागू होगा

सरकार अगले दो-तीन वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए 'व्यवसाय से उपभोक्ता' (बी2सी) लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है।

वर्तमान में पाँच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का 'व्यवसाय से व्यवसाय' (बी2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है।

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक परिषद एवं परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में शामिल हुए

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक परिषद् (Board of Director) एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक परिषद् (Board of Directors) एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को श्री संदीप पौंडरीक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी शामिल हुए।

एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हम बी 2 सी के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। हमें जीएसटीएन क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जल्द प्रणाली तैयार करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से इसकी शुरूआत की जा सकती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में हम इसे आगे ले जाने में सक्षम होंगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.12.2023)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1945 (श.)

(सं. पटना 1012) पटना, शुक्रवार, 15 दिसम्बर 2023

उद्योग विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर 2023

सं. 5 /स. बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र)-09/2022/6975- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 7333 / Estt. दिनांक 27.11.2023, पत्रांक 7334 / Estt. दिनांक 27.11.2023 एवं पत्रांक 7335/ Estt. दिनांक 27.11.2023 द्वारा अनुशंसित क्रमशः मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा अंचल के मौजा-रसलपुर धुरिया (कलाशन बाजार), थाना सं.-130, रकवा 146.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, चौसा के रूप में, खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता अंचल के मौजा-सौढ़, थाना सं. -347 खाता सं.- 1160 रकवा 100.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, परबत्ता के रूप में एवं गया जिला अंतर्गत मानपुर अंचल के मौजा-शादीपुर, थाना सं.-246 खाता सं.- 338 रकवा 23.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, मानपुर के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
दिलीप कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

जीएसटी विवादों के निबटारे को होगा अपीलीय ट्रिब्यूनल

बिहार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवादों के निबटारे में अब तेजी आएगी। इसके लिए राज्य में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन होगा। बिहार में इस ट्रिब्यूनल की पीठ पटना गठित की जाएगी।

इस ट्रिब्यूनल में चार सदस्य होंगे। इसमें दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। तकनीकी सदस्य के रूप में केन्द्र और राज्य के एक-एक से अधिकारी होंगे। जबकि न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक केन्द्रीकृत व्यवस्था होगी। इसके तहत पीठ में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी। दरअसल, जीएसटी एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई में व्यापारियों के खिलाफ जारी डिमांड पर पहली अपील कमिश्नर के यहाँ की जाती है। अगर कोई व्यवसायी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे पटना हाइकोर्ट जाना पड़ता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.12.2023)

Average monthly GST mop-up at 1.66 lakh cr in current fiscal : FM

The goods and service tax (GST) collection has been showing an upward trend on an annual basis since its rollout on July 1,2017, and the average gross monthly mop-up in the current fiscal so far is ₹ 1.66 lakh crore, finance minister Nirmala Sitharaman said .

In a written reply to a question in the Lok Sabha, she said the GST collection crossed ₹ 1.50 lakh crore mark in every month of the current fiscal and had touched a record high of ₹ 1.87 lakh crore in April 2023.

"GST collection has been showing an upward trend on year-on-year basis since the implementation of GST w. e. f. 1st July, 2017... The average gross monthly GST collection in FY 2023-24 now stands at ₹ l.66 lakh crore and is 11% more than that in the same period in the previous financial year," Sithar-aman said.

The average monthly Goods and Services Tax (GST) collection in 2022-23 was over ₹ 1.50 lakh crore, higher than ₹ 1.23 lakh crore in 2021-22. In 2020-21, the average monthly mop-up was ₹ 94,734 crore.

In reply to a separate question, minister of state for finance Pankaj Chaudhary said the monthly average gross GST collection for 2021-22 and 2022-23 have shown 30% and 22% year-on-year (y-o-y) growth respectively.

चैम्बर उपाध्यक्ष BIADA के PCC की बैठक में शामिल हुए

दिनांक 19 दिसंबर 2023 को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

"GST is paid on self-assessment basis and tax administration at central and state level is empowered to take action against cases where GST is not paid and short paid. Detection of such cases and recovery of taxes not paid or short paid is a continuous process," Chaudhary said.

He said the government, on the recommendation of the GST Council, has been bringing several reforms in GST and these measures would improve the GST compliance and increase the GST collection.

These include structural changes like calibration of GST rates for correcting inverted duty structure and pruning of exemptions; measures for improving tax compliance such as mandating e-way bill, ITC matching, mandating e-invoice, deployment of artificial intelligence and machine-based analytics, aadhaar authentication for registration, calibrated action on non-filers, stop filers.

Also, system-based analytical tools and system-generated red flag reports are being shared with centrales well as state tax authorities to take action against tax evaders.

In reply to another question, Chaudhary said the central government, on the recommendation of GST Council, has constituted State Benches of GST Appellate Tribunal.

Giving details of the number of pending appeals over tax demands raised by Central GST authorities, Chaudhary said 14,897 appeals are pending as on October 31, 2023. This is higher than 11,899 appeals pending as of March 31,2023.

(Source : Hindustan Times, 5.12.2023)

Ficci expects GDP to grow 7.5-8% this fiscal, 8% in FY25

Says Positive Sentiment, Pvt Investments To Back Momentum

Industry expects the economy to grow at 7.5% to8% in the current fiscal and 8% in 2024-25 on the back of strong growth momentum, positive sentiments and rising private investments, Anish Shah, newly-elected president of the Federation Indian Chambers of Commerce and Industry (Ficci), said on dated 11.12.2023.

There will, however, be geopolitical pressure points that may have a bearing on India's growth prospects, he added. "We have seen great growth numbers so far at 7.8%, 7.6%. I expect that to continue because we have got strong momentum. We are seeing multiple companies investing, adding capacities, something that Mahindra group has done as well. We expect that growth momentum to continue at 7.5 per cent to 8 per cent in the current financial year and for next year, I would expect 8 per cent or higher," said Shah, who is also Group CEO and managing director of Mahindra and Mahindra.

Indian economy recorded a growth of 7.8% in the first quarter (April-June 2023-24) and 7.6% in the second quarter (July-September 2023-24). The growth rate in the first half (April-September) works out to be 7.7%. On the pressure points on the economy, Shah said, "primary pressure points are outside India. We are seeing stress with regard to Israel and Gaza, added to what is happening in Ukraine. Our hope is that it does not expand or accelerate any further from there. For the sake of everyone, it gets to peace."

The second concern, he added, was the economic problems being faced by the western countries. "We don't think that the problems there have abated as yet. Interest rate there has been at a much higher level than what we have seen here in India. If there is a greater economic impact in the western world, it will impact India. We see those as two major concerns," Shah added.

The government, he said, needs to continue the momentum of growth to tide over the problems emanating from abroad. Moreover, he added, many Indian companies have deleveraged balance sheets and they should be prepared to play a bigger role in case the world witnesses an economic crisis. As regards Indian companies, Shah said, "the sentiment is positive, investment is picking up and capacity addition is going on. ..The pace of investment will accelerate further, as demand continues and growth continues in the economy."

Answering questions on Reserve Bank's decision to keep the interest rate unchanged for fifth time in a row, the new Ficci chief said, 'one needs to give lot of credit to RBI for being proactive, because they have acted early. That has helped. More important factor is to have inflation under control, than to reduce rates. It has worked so far. I would rely on the experts of the RBI to manage the economy which they have done very well so far."

He further said that once the economy is set on a good track with longer term perspective and there is room for rate cut, "industry would welcome it at that point."

(Source : Times of India 12.12.2023)

10 साल बाद गैर आवासीय संपत्ति कर निर्धारण व वसूली में बड़ा बदलाव, नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की

होटल-क्लब, बैंक, अस्पताल को तीन गुना और शो-रूम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स को डेढ़ गुना अधिक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा

राजधानी समेत पूरे राज्य में अब गैर आवासीय संपत्ति कर की वसूली व इसके निर्धारण में 10 साल बाद बड़ा बदलाव किया गया है। अब होटल, क्लब, अस्तपाल, शो-रूम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स समेत विभिन्न कॉमर्शियल संस्थानों की संपत्ति व होल्डिंग टैक्स में डेढ़ से तीन गुना तक की वृद्धि की गई है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, अभी तक राज्य में किसी भी कॉमर्शियल संस्थान व प्रतिष्ठान के लिए एक ही तरह की सपत्ति कर की व्यवस्था थी, लेकिन अब कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों व परिसरों को करीब 11 अलग-अलग भागों में बांट दिया गया है। इसी अनुसार टैक्स वसूली की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कई वाणिज्यिक गतिविधियों को छूट भी दी गई है और इनकी संपत्ति कर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अनुसार 250 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले दुकान के होल्डिंग टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

2013 में बनी थी संपत्ति कर की नियमाक्ली : गैर आवासीय संपत्ति कर को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए 10 साल पहले बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली-2013 लाई गई थी। इसके लिए 8 मई 2013 को बिहार गजट में इसे प्रकाशित किया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। अब जाकर विभाग ने नई संपत्ति कर को नए सिरे से तय किया है। इससे अब नगर निकायों को करोड़ों रूपए राजस्व प्राप्त होगा।

यह है वर्तमान गैर आवासीय प्रॉपर्टी टैक्स (प्रति वर्गफीट)

प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग पूर्णत: वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण • **54 रुपए** – आरसीसी छत वाला पक्का भवन • **36 रुपए** – कोरोग्रेटेड चादर वाला पक्का भवन • **18 रुपए** – अन्य भवन

मुख्य सड़क पर होल्डिंग पूर्णत: वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण • **36 रुपए** – आरसीसी छत वाला पक्का भवन • **24 रुपए** – कोरोग्रेटेड चादर वाला पक्का भवन • **12 रुपए** – अन्य भवन

अन्य सड़क पर होल्डिंग पूर्णत: वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण • **18 रुपए** – आरसीसी छत वाला पक्का भवन • **12 रुपए** – कोरोग्रेटेड चादर वाला पक्का भवन • **6 रुपए** – अन्य भवन

(नोट - उक्त दर में ही डेढ़, दो और तीन गुना की वृद्धि की गई है)

जानिए ... अब आपको कितना देना होगा टैक्स : • **तीन गुना :** होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, विवाह हॉल • **तीन गुना :** वाणिज्य कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल व नर्सिंग होम • **दोगुना :** राज्य व केन्द्र सरकार के वैसे प्रतिष्ठान जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं • **दोगुना :** उद्योग, वर्कशॉप, वेयर हाउस • **डेढ़ गुना :** शो रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला • **डेढ़ गुना :** कोचिंग संस्थान, गाइडेंस व प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रवास • **डेढ़ गुना :** निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास।

होल्डिंग टैक्स .... वार्षिक किराए का 9% : संपत्ति कर व होल्डिंग टैक्स का निर्धारण वार्षिक किराया मूल्य से किया जाता है। वार्षिक किराया मूल्य के 9 प्रतिशत की राशि को बतौर होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क व अन्य सड़क पर निर्मित कॉमर्शियल परिसरों के लिए अलग-अलग दर तैयार किया गया है।

राहत ....इनके कर में कोई बदलाव नहीं हुआ : • 250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले दुकान • राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है • शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लिए लाभ-हानि के बिना संचालित शैक्षणिक संस्थान।

ये रहेंगे करमुक्त : सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ।

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.11.2023)

अमेरिका और खाड़ी देशों में निर्यात हो रहा बिहार का मखाना

मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार डॉ मंगला राय ने कहा कि मखाना के मूल्य संवर्द्धन पर काम करने की आवश्यकता है। हमें मखाना उत्पादक किसानों से पता करना होगा कि हाथ और मशीन से किये जाने वाले कार्यों में और क्या सुधार हो सकते हैं।

ज्ञान भवन में दिनांक 1.12.2023 को दो दिवसीय मखाना महोत्सव को संबोधित करते हुए डॉ. राय ने कहा कि अनुसंधान और तकनीकी विकास पर भी चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के कृषि विश्व- विद्यालयों में सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होगी।

विश्व का 85% मखाना का उत्पादन बिहार में : कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पूरे विश्व का 85 प्रतिशत मखाना उत्पादित होता है। बिहार के कई जिलों में मखाना की खेती नहीं होती है। अब वैसे जिलों में भी मखाना की खेती होगी। आज देश से मखाना का निर्यात यूरोपियन देशों, अमेरिका तथा गल्फ कंट्री में किया जा रहा है। हम अरब देशों में मांग के अनुसार मखाना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कहा कि दीपावली में मिठाई की जगह मखाना को गिफ्ट किया गया। अब यह सुपर फुड बन गया है।

कृषि सचिव ने कहा कि राज्य में चयनित एक्स्पोर्ट ओरियेंटेड 7 सेक्टर्स में मखाना को भी शामिल किया गया है। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15 प्रतिशत, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 171% रकवा एवं मखाना पॉप उत्पादन में 152% की वृद्धि आंकी गयी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर 2.12.2023)**

14 मार्च तक करा सकेंगे अब अपना आधार अपडेट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने my Aadhar पोर्टल के माध्यम से आधार की जानकारी अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब आम लोग अगले साल 14 मार्च तक आधार में मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं।

पहले मुफ्त में आधार की अपडेट कराने की अंतिम तारीख 14 दिसम्बर, 2023 थी। अपडेट की तारीख बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुफ्त सुविधा सिर्फ ऑनलाइन अपडेशन के लिए ही मिली हुई है। बता दें कि यूआइडीएआइ उन लोगों को अपने आधार को अपडेट करने की सलाह दे रहा है जिन्होंने बीते 10 सालों में ऐसा नहीं लिया है। ऐसा आधार से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। यूआइडीएआइ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि डेमोग्राफिक जानकारी की निरतर सटीकता के लिए कृपया अपना आधार अपडेट करें। **(साभार : प्रभात खबर 14.12.2023)**

बिना स्टांप वाले समझौते में भी प्रभावी होगी मध्यस्थता

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 13.12.2023 को कहा कि बिना स्टांप वाले या अपर्याप्त स्टांप वाले दो पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रविधान लागू करने योग्य है और इस तरह की खामी सुधार योग्य है। इससे समझौता अवैध नहीं हो जाता।

फैसले के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष अप्रैल में पाँच सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को निरस्त कर दिया है और इसके कारपोरेट एवं समझौता करने वाले पक्षकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रविधान वाले अन्य समझौतों पर उल्लेखनीय व दूरगामी प्रभाव होंगे। शीर्ष अदालत ने मैसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स इंडो यूनीक फ्लेम लिमिटेड एवं अन्य के मामले में 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि मध्यस्थता प्रविधान वाले बिना स्टांप या अपर्याप्त स्टांप वाले समझौते लागू करने योग्य नहीं हैं। उक्त फैसले को निरस्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मत फैसला सुनाया।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.12.2023)

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि अब रिजर्व बैंक के इ-कुबेर प्लेटफॉर्म से की जायेगी जारी

केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की राशि किसी अन्य एकाउंट में पार्क नहीं हो इसके लिए लगातार नये-नये तरीके अपना रही है। फिलहाल सीएसएस की राशि सिंगल नोडल एकाउंट (एसएनए) के माध्यम से जारी की जाती है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया जा रहा है। नयी व्यवस्था एसएनए स्पर्श (शीघ्र ट्रांसफर एकीकृत प्रणाली) लागू की जा रही है। अब केंद्राश रिजर्व बैंक के इ-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की जायेगी। इसके लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को रिजर्व बैंक के इ-कुबेर प्लेटफॉर्म पर एकाउंट खोलना होगा। साथ ही पीएफएमएस के तहत सभी योजनाओं को एसएनए स्पर्श पर ऑनबोर्ड किया जायेगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य, समाज

कल्याण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की केन्द्र प्रायोजित योजना से इसकी शुरूआत की जायेगी। केन्द्र ने इसके लिए मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है। केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सीएसएस के लिए बन रही नयी व्यवस्था के तहत पहले से जारी राशि को केन्द्र केन्द्रीय समेकित निधि और राज्य को राज्यकीय समेकित निधि में जमा करना होगा। इसके लिए जिन विभागों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जायेगा, उन मंत्रालय और विभागों को अपनी राशि समेकित निधि में जमा करना होगा। फिर नयी व्यवस्था के तहत राशि जारी की जायेगी। **(साभार : प्रभात खबर 4.12.2023)**

आनलाइन लोन देने वालों पर कसेगा शिकंजा

आरबीआइ लोन उत्पाद बेचने वालों के लिए लाएगा नए नियम, सरकार इनके लिए लाइसेंस अनिवार्य करेगी

वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए कर्ज देने वाली एजेंसियों (वेब-एग्रीगेटर्स) को नियमों के दायरे में लाने की पूर्व में कई कोशिशें की गई हैं। इसके बावजूद अभी भी कुछ एजोंसियां बाजार में मौजूद हैं जो नियामक एजेंसियों की आँख में धूल झोंककर व नियमों में खामियाँ निकालकर लोन बांट रही हैं। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की तैयारी है। एक तरफ आरबीआइ ने लोन उत्पाद बेचने वाले वेब-एग्रीगेटर्स के नियमन को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है, तो दूसरे तरफ केन्द्र सरकार भी ऐसे कानूनी प्रविधान लाने की तैयारी कर रही है जिससे बगैर लाइसेंस के कोई एजेंसी या कंपनी किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वित्तीय सेवाएँ नहीं दे सकेगी। इसका मकसद नियमों के दायरे से बाहर काम कर रही कंपनियों को बंद करना है।

मनमाना ब्याज वसूला जाना सबसे बड़ी समस्या : आरबीआइ को देश के कई हिस्सों से मोबाइल एप या डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाली सैकड़ों एजेंसियों की ओर से गड़बड़ी करने की सूचना मिली है। देश में सैकड़ों एजेंसिया है जो वैध तरीके से काम कर रही है। ग्राहक भी इन एजेंसियों से आसानी से कर्ज ले रहे हैं। समस्या ऐसी एजेसियों से है जो ग्राहको से मनमाना ब्याज वसूल रही है और कर्ज नहीं लौटाने वाले ग्राहको को परेशान करती है। इन एजेंसियों के खिलाफ देशभर में सैकड़ों मामले दर्ज हो चुके हैं। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में भारत में डिजिटल तरीके से 21.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बाटा गया, जो वर्ष 2026 में 47.4 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। इसमें कर्ज देने वाले मोबाइल एप का सबसे ज्यादा योगदान है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.12.2023)

सरकार कर रही नई अलर्ट व्यवस्था लाने की तैयारी, कॉल-एसएमएस से सूचित करेंगे

पांच हजार से अधिक के यूपीआई लेनदेन का सत्यापन जरूरी होगा

केन्द्र सरकार यूपीआई भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत पाँच हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई जा सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या विक्रेता को इस राशि से ज्यादा भुगतान यूपीआई से करता है तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।

बताया जा रहा है कि हाल ही में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपायों पर चर्चा की गई। खासकर यूपीआई से होने वाली ठगी को रोकने के कई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिसमें अलर्ट प्रणाली भी शामिल है।

सभी के लिए लागू होगी : बताया जा रहा है कि यह अलर्ट प्रणाली शुरू में नए उपयोगकर्ताओं या विक्रेता के लिए लागू की जाएगी। बाद में सभी के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। बैंक, वित्तीय संस्थान और थर्ड पार्टी ऐप्स इस त्वरित अलर्ट और सत्यापन प्रणाली को अपनी सकते हैं। हालांकि, कई वित्त संस्थानों ने पहले से ही इस तरह की प्रणाली को लागू किया हुआ है लेकिन उसमें भुगतान की सीमा अधिक होती है।

बंद किए जा चुके हैं लाखों नंबर : ऑनलाइन बैंकिंग ठगी को लेकर सरकार पहले ही सख्त रवैया अपना चुकी है। इसके तहत शुरूआती कदम के रूप में लाखों मोबाइल नंबरों को बंद किया गया है। संदिग्ध लेन-देन में संलिप्तता के कारण सरकार पहले ही 70 लाख मोबाइल नंबरों को सस्पेंड कर चुकी है।

इस तरीके से होगा सत्यापन : इस प्रणाली के तहत जब कोई उपयोगकर्ता पहली बार किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को यूपीआई से पाँच हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान करेगा तो सबसे पहले उसके पास सत्यापन कॉल आएगी या एसएमएस भेजा जाएगा। उपयोगकर्ता को इस भुगतान के लिए मंजूरी देनी होगी। इसके बाद अपना पिन नंबर डालना होगा। दो चरणों में सत्यापन होने के बाद भुगतान पूरा होगा। यदि सत्यापन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर पूरी नहीं होती है तो भुगतान अटक जाएगा।

बैंकों और कंपनियों के लिए निर्देश : राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भी हाल में सभी बैंकों और ऐप्स कंपनियों से कहा था कि वे उन ग्राहकों का सत्यापन करें, जिनके यूपीआई खाते से लंबे वक्त तक लेनदेन नहीं किया गया है और खाता निष्क्रिय है। ऐसे ग्राहकों को फिर से केवाईसी करवाना होगा, जिसके तहत बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। यदि 31 दिसम्बर 2023 तक सत्यापन पूरा नहीं होता है तो नए साल से यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.12.2023)**

ट्रकों के केबिनों में अक्टूबर 2025 से एसी लगाना अनिवार्य

ट्रक चालकों की सुविधा के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयरकंडीशनर (एसी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एक अक्टूबर 2025 या इसके बाद बनने वाले एन-2 और एन-3 श्रेणी के वाहनों के कैबिन में ए.सी. लगाना होगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.12.2023)**

OIS LEVELS show market players not pricing in easing until inflation is under control

RBI's Unlikely to Cut Interest Rates Before June 2024

Markets worldwide may be keenly awaiting a return to lower interest rates, but domestic interest rate derivatives show that the Reserve Bank of India will not begin an easing cycle for at least six to eight months as the central bank takes care to see the inflation battle through to the last mile.

Overnight index swaps (OIS), which are the main financial instrument for hedging interest rate risk in India, are currently at levels that show no rate cuts till around the second quarter of FY25, market participants said.

Street Signals % : 6.86% One-year OIS as on Dec 8 • 6.56% Two-year OIS as on Dec 8 • 6.50% RBI repo rate • MPC inflation projection for Q2FY25: 4.0% • MPC inflation projection for Q3FY25: 4.7% • Banking system liquidity deficit as on Dec 7: ₹16,253.9 cr • MPC Inflation target : 4% **(Detaile : E. T. 11.12.2023)**

एक महीने का भी बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली

बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर फिर से सख्ती करने की तैयारी बिजली कंपनी ने कर ली है। एक महीने का भी बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली कंपनी के जीएम राजस्व के निर्देश पर पेसू बकायादारों की सूची बना रहा है। अब तक 3 से 6 महीने तक बिल जमा नहीं करनेवाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाता था।

(विस्तृत : प्रभात खबर 14.12.2023)

अग्रिम राशि पर ब्याज देगी बिजली कंपनी

प्रीपेड मीटर में अग्रिम रिचार्ज कराने पर बैंक की तर्ज पर मिलेगा ब्याज एडवांस के तौर पर न्यूनतम दो हजार रुपए रखने होंगे।

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में एडवांस (अग्रिम) पैसा रखने पर बिजली कंपनी ब्याज देगी। उपभोक्ताओं को यह ब्याज बैंक की बचत खाता के अनुसार मिलेगा। जिसकी जितनी राशि रहेगी, उसके अनुसार लोगों को ब्याज मिलेगा। कंपनी का यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा। नए साल में बिजली कंपनी यह सुविधा देने लगेगी।

कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, बचत खाता के अनुसार ब्याज लेने के लिए 20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर में न्यूनतम दो हजार रुपए रखने होंगे। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। अगर उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक न्यूनतम दो हजार रुपए एडवांस रखेंगे तो उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बचत खाते पर निर्धारित ब्याज के तौर पर राशि दी जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता तीन महीने से अधिक समय तक एडवांस राशि रखेंगे तो उन्हें 0.25 फीसदी अधिक ब्याज दिया जाएगा। छह से नौ महीने तक एडवांस पैसा रखने पर उपभोक्ताओं को 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्जाज मिलेगा। इसी तरह नौ से 12 महीने तक राशि रखने पर 0.75 फीसदी अतिरिक्त जबकि 12 महीने से अधिक एडवांस राशि रखने पर उपभोक्ताओं को एक फीसदी अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.12.2023)**

राज्य में पाँच वर्षों में खुलेंगे 277 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन

राज्य में पाँच वर्षों में 277 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जायेंगे। पेट्रोल पंप के अलावा निजी भूमि पर चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी भी दी जायेगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 2028 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने का निर्देश है। इसके तहत 2028 तक बिहार में क्रय व निबंधन होने वाले नये वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे। सरकारी विभागों के माध्यम से पाँच वर्षों में 277 स्टेशन खोलने का लक्ष्य है। वहीं, निजी भूमि व पेट्रोल पंप पर भी स्टेशन खोलने के लिए जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

इन सरकारी संस्थानों को मिला लक्ष्य

सरकारी संस्थान	लक्ष्य (पाँच वर्षों में)
पथ निर्माण विभाग	30
एनएचएआइ	20
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	16
बिहार राज्य सड़क विकास निगम	08
भवन निर्माण विभाग	20
उत्तर एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम	20
पटना नगर निगम	20
अन्य नगर निकाय	50
औद्योगिक क्षेत्र	10
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	17
केन्द्र सरकार के विभाग	20
रेलवे	40
हवाई अड्डा	06

(विस्तृत : प्रभात खबर 12.12.2023)

सूबे में 1200 घर सौर ऊर्जा से हुए जगमग

सौर ऊर्जा के प्रति लोगों का रूझान बढ़ता जा रहा है। पटना समेत साउथ बिहार के जिले में महज सालभर में 1200 घर सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। जल्द ही 300 घर और रोशन होने वाले हैं। सौर ऊर्जा लगाने में पटना और नालंदा जिले के उपभोक्ता सबसे आगे हैं।

छह मेगावाट बिजली उत्पादन की मिली राशि : ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत 5509 घरेलु उपभोक्ता ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। कंपनी के पास इस योजना के लिए 17.4 मेगावाट के सौर पैनल्स लगाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सौर पैनल लगाने के लिए निर्धारित शुल्क को 1500 उपभोक्ताओं ने जमा कर दिया है। इससे छह मेगावाट बिजली उत्पादन करने की राशि प्राप्त हो पाई है। इस परिप्रेक्ष्य में साढ़े पाँच मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है।

3279 उपभोक्ताओं के परिसर का सर्वे : पैनल लगाने वाली एजेंसी 3279 उपभोक्ताओं के परिसर में साइट सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता पूरी कर ली है। ये उपभोक्ता निर्धारित शुल्क अभी जमा नहीं किए हैं। शुल्क जमा होने पर इस योजना का लाभ अविलंब मिलेगा। इन 3279 उपभोक्ताओं ने 13 मेगावाट के सौर पैनल्स लगाने के लिए आवेदन किए हैं।

सौ स्क्वायर फीट में लगा सकते पैनल : अगर आपके घर का बिजली लोड एक किलोवाट है तो महज सौ स्क्वायर फीट में पैंनल लगा सकते हैं। पैनल धूप आने वाली जगहों पर लगेंगे। सोलर पैनल से एक साल में 1200 यूनिट बिजली उत्पादित होती है।

आवेदन की प्रक्रिया अभी बंद : ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल बंद है। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से अनुदान दिया जा रहा था। केन्द्र सरकार की ओर से यह योजना 2024-25 के लिए रिन्यूअल नहीं हो पायी है। बिजली कंपनी इसको लेकर कई बार केन्द्र को पत्र भेज चुकी है।

सोलर पैनल लगाने का अनुदानित शुल्क

एक किलोवाट :	36,099.69 रुपए
दो किलोवाट :	77,795.96 रुपए
तीन किलोवाट :	119,179.33 रुपए
चार किलोवाट :	154,337.38 रुपए
पाँच किलोवाट :	199,918.89 रुपए
छह किलोवाट :	245,500.40 रुपए
सात किलोवाट :	291,081.91 रुपए
आठ किलोवाट :	336,663.42 रुपए
नौ किलोवाट :	382,244.93 रुपए
दस किलोवाट :	427,826.43 रुपए

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.12.2023)

नहीं खुला रिजर्व बैंक का एक्सचेंज काउंटर

पटना स्थित भारतीय रिजर्व बैंक का एक्सचेंज काउंटर चार साल बाद भी नहीं खुला है। इसके कारण हर दिन सैकड़ों लोग निराश होकर लौटने को मजबूर है। तो वहीं नोट बदलने वाले दलाल मालामाल हो रहे हैं। दूसरी और दो हजार रुपये के नोट बदलने का काम रिजर्व बैंक के पिछले गेट पर ही रहा है। जो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह असुरक्षित है। नोट बदलने आ रहे लोग खुले आकाश के नीचे सड़क किनारे लंबी लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं।

लोगों का कहना है कि मोटी रकम लेकर घंटों सड़क पर खड़े रहने से वे असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। **(विस्तृत : प्रभात खबर 13.12.2023)**

स्मार्ट सिटी की ओर से निर्मित 18 जनसेवा केन्द्र चलाएगा निगम

• निजी एजेंसी के जरिये सेवाएँ दी जा रही थी • जल्द ही नगर निगम को जिम्मेदारी दी जाएगी

पटना स्मार्ट सिटी की ओर से निर्मित और संचालित जनसेवा केन्द्र अब नगर निगम को सौंपा जाएगा। स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में सभी जनसेवा केन्द्र नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लंबे समय से पटना नगर निगम की यह मांग थी। बैठक में यह मांग पूरी कर दी गई है।

पटना स्मार्ट सिटी शहर के लोगों को उनके वार्ड में भी सभी केन्द्र और राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। 2021 दिसम्बर में चार करोड़ की लागत से सौ जनसेवा केन्द्र का शुभारंभ किया गया था। वहीं पूरे पटना में 28 जनसेवा केन्द्र बनाने का निर्णय स्मार्ट सिटी की ओर से लिया गया था, जिसमें से अब तक 18 जनसेवा केन्द्र बनकर तैयार है। जनसेवा केन्द्र भवन तैयार करने में करीब 17 करोड़ रुपये की लागत आयी है। पटना स्मार्ट सिटी की ओर से निजी एजेंसी के जरिये लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन एजेंसी की ओर से ठीक से कार्य नहीं करने और जितनी सेवाएँ देने का दावा किया गया था उसे पूरी नहीं की गई।

ये सेवाएँ मिलनी है : मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फसल पंजीकरण, हवाई टिकट, बैंकिंग, दाखिल-खारिज एवं मालगुजारी, किसान क्रेडिट कार्ड, रेलवे टिकट, होल्डिंग टैक्स, जीएसटी सेवा, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, कुरियर सेवा, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार मजदूर पंजीकरण, फसल बीमा, गैस बुकिंग आदि।

"स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में जनसेवा केन्द्र हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है। 18 जनसेवा केन्द्र के लिए भवन लगभग तैयार है। इन केन्द्रों पर नगर निगम सभी तरह की सेवाओं की शुरूआत करेगा।"

– सीता साहू, निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड सह-महापौर

इन वार्डों में है जन सेवा केन्द्र

स्थल	वार्ड
गर्दनीबाग	14
श्रीकृष्णापुरी	21
एएन कॉलेज के पश्चिम	22
बीएनराय पथ कदमकुआँ	38
रोड संख्या - 1 राजेन्द्र नगर	43
भूतनाथ रोड	46
बबुआगंज पानी टंकी	53
सरकारी प्रेस भवन के पास	58
खाजेकलाँ	65
केन्द्रीय विद्यालय शेखपुरा के सामने पुराना पंप हाउस कैंपस	4
बेऊर मोड़	11
न्यू बाइपास चितकोहरा	12
मीठापुर पुराना बस स्टैंड	29
सालिमपुर गोला रोड दलदली	37
नगर निगम यूनियन कार्यालय खेतान मार्केट	39
एससी एसटी कॉलोनी, काजीपुर मोहल्ला	42
महेन्द्रु	49
मदरसा इस्लामिक	51
ट्रांस्पोर्ट नगर	55
पहाड़ी संप हाउस के उत्तर	56
मीना बाजार सिटी अंचल	57
महात्मा ज्योति पार्क	61
मंगल तालाब, पटना सिटी	66
जगदेव पार्क, पटना सिटी	68
पटना सिटी	70
पानी टंकी कैंपस, पटना सिटी	71
शिव मंदिर दीदारगंज	72

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.12.2023)

सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगा अनुदान

सूबे में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इसके चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। बैठक में इसके साथ ही 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पटना समेत प्रदेश के छह बड़े शहरों मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए 400 बसों के परिचालन को मंजूरी दी गयी। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना को स्वीकृति दी गयी। इस नीति के लागू होने से राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दोपहिया से लेकर चार पहिया वाहन को बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, प्रथम दस हजार दो पहिया वाहनों की खरीद पर 5000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह अनुदान साढ़े सात हजार रुपए का होगा। तीनपहिया मालवाहक और तीन पहिया यात्री वाहन के निबंधन में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह छूट प्रथम तीनपहिया 1000 वाहनों पर मिलेगी। इसके बाद शेष पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह चार पहिया वाहनों को प्रति किलोवाट के हिसाब से छूट मिलेगी। यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए डेढ़ लाख रुपए तक होगी। यह छूट भी 1000 वाहनों तक ही लागू होगी।

15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन भी होंगे स्क्रैप : मंत्रिमंडल ने 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नीलामी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मेटल एंड स्क्रैप कॉरपोरेशन से करार होगा।

किस वाहन पर कितनी छूट

दो पहिया वाहन : पहले 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रति किलोवाट 5000 रुपये की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) के लिए यह राशि 7500 रुपये होगी। वहीं मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी की छूट होगी। 10 हजार की बिक्री हो जाने के बाद वाहन खरीदने पर 5 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट जारी रहेगी। **तीन पहिया वाहन :** बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लागू होने तक यानी अगले 5 साल तक वाहनों के निबंधन में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। **चार पहिया वाहन :** प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये के हिसाब से यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए जबकि एससी-एसटी के लिए डेढ़ लाख रुपए तक होगी। यह छूट भी पहले 1000 वाहनों की खरीद तक लागू होगी। साथ ही उन 1000 वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। 1000 की बिक्री हो जाने के बाद वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट 5 साल तक जारी रहेगी। **हल्के मालवाहक :** पांच साल तक टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। **भारी इलेक्ट्रिक मालवाहक :** 2 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी छूट जारी रहेगी। 2 साल के बाद अगले 3 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी।

केन्द्रीय सहायता में 235 करोड़ राज्यांश की मंजूरी : केन्द्रीय सहायता के रूप में 728.42 करोड़ के आनुपातिक राज्यांश के रूप में 235.20 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। इसमें कुल दो भाग में जैसे पहले 10 वर्षो में 89.40 करोड़ व 11 वें और 12 वें वर्ष में 145 .80 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए परिचालन संसाधन पर सब्सिडी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.12.2023)

प्लाटिंग पर 20 फीट सड़क जरूरी

• 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड पर 20 फीट सड़क जरूरी • डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही मिलेगी छूट • सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई का पहले से किया गया है प्रविधान

राज्य के शहरी निकाय या शहर से सटे प्लानिंग एरिया (आयोजना क्षेत्र) में जमीन की प्लाटिंग के लिए 20 फीट सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा। जमीन की रजिस्ट्री में इस रास्ते का उल्लेख करते हुए निबंधन की प्रक्रिया पूरी

की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखते हुए इसका अनुपालन कराने का आग्रह किया है। यह भी उल्लेख किया गया है यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए।

पटना के मास्टर प्लान-2031 को अपडेट करते हुए अगले दस सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार ने अब 2041 तक की अवधि के लिए मास्टर प्लान (महायोजना) तैयार किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान पटना मास्टर प्लान 2031 के क्रियान्वयन में व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अपडेट मास्टर प्लान में जमीन का वर्गीकरण दस प्रकार से होगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थात्मक, जनउपयोगी भवन, ट्रांसपोर्ट व यूटिलिटिज, कृषि, ग्रीन बेल्ट, स्पेशल एरिया और मिश्रित भूमि का इस्तेमाल शामिल है। सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग आयोजना क्षेत्र तय कर मास्टरप्लान पर काम कर रहा है। सभी जिला मुख्यालय के शहरों, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों का मास्टरप्लान बनाया जा रहा है। अभी तक गठित 43 आयोजना क्षेत्रों में से पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.12.2023)**

आटो पर लिखना होगा मालिक और चालक का नाम और नंबर

आटो में यात्री से लूटपाट और झांसा देकर जेवर ठगी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए रात में वाहनों की जाँच के साथ ही अब पुलिस आटो यूनियन के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दे रही है। रविवार की रात कोतवाली डीएसपी के दफ्तर में दस आटो यूनियन संघ के साथ हुई। बैठक में निर्देश दिया गया कि आटो पर चालक और मालिक का नाम और नंबर लिखा जाए। नंबर प्लेट पूरी तरह दिखे इसका भी ध्यान दिया जाए ताकि उसमें सवार यात्री को भी चालक के बारे में जानकारी और आटो का नंबर आसानी दिखे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.12.2023)

15 दिसम्बर के बाद सड़कों पर बिना HSRP गड़ियाँ दिखीं तो होगा जुर्माना

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर में एजेंसी है कार्यरत

यदि आपने अपना वाहन अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड करवाया है तो ये खबर आपके लिए है। 15 दिसम्बर 2023 के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर जुर्माने के पात्र हो जाएँगे। ऐसे वाहन स्वामियों के विरुद्ध परिवहन विभाग एक्शन लेने के मूड में है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर में एजेंसी कार्यरत है। हालांकि 2023 में अधिकांश वाहनों को एजेंसी द्वारा ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिया गया है। जिन लोगों ने खुद से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन्हें सतर्क होने की जरूरत है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे : 1. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में साफ नंबर दिखाई देगा। 2. नंबर प्लेट पंच को आसानी से कोई बदल नहीं सकता है। 3. वाहन और मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। 4. डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनने से वाहन सुरक्षित रहता है। 5. प्लेट के ऊपर कलर होलोग्राम होता है। जिसमे नीचे 10 अंक की पीन होती है। जिस स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। 6. रजिस्टर्ड नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म होती है जिसे नीले रंग में शार्ट इंडिया लिखा होता है। ये नंबर प्लेट यूनिक पहचान होती है।

ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है स्कैनर : दो पहिया और चार पहिया वाहनों केचालान के लिए शहर में जगह-जगह कैमरे तो लगा दिए गए है। मगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जांचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को स्कैनर मुहैया नहीं कराया गया है। जिस वजह से ज्यादातर मामलो में सिर्फ-हेलमेट और सीट बेल्ट का ही चालान होता है। नाम न छापने के शर्त पर परिवहन विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि अगर नंबर प्लेट स्कैन करने की मशीन उपलब्ध करा दिया जाए तो असली और नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की भी पहचान आसानी से हो जाएगी। **(साभार : आईनेक्स्ट, 9.12.2023)**

जमीन की मापी को शुरू होगा पोर्टल

राज्य में अब जमीन की मापी कराने से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हो सकेगी। यानी इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने, अमीन बुक करने से लेकर मापी प्रमाण-पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे संबंधित एक अलग वेबसाइट को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले सप्ताह लॉन्च करने की तैयारी में है। विभागीय स्तर पर इस वेबसाइट पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस वेबसाइट पर आवेदन करने के साथ ही उस जमीन का विस्तृत विवरण डालना होगा, जिसकी मापी करवानी है। इस जानकारी का संबंधित कर्मचारी से सत्यापन कराने के बाद विभाग के स्तर से निर्धारित की गई फीस को भी ऑनलाइन जमा करना होगा। इस सॉफ्टवेयर के स्तर से जमीन मापी के लिए अमीन का निर्धारण कर दिया जाएगा। मापी के लिए 3 संभावित तारीख पूछी जाएगी। जमीन मालिक के स्तर से किसी एक तारीख पर सहमति बनने के बाद उसे मापी के लिए अंतिम रूप से मुकर्रर किया जाएगा।

अगर किसी भी संभावित तारीख पर जमीन मालिक के स्तर से सहमति नहीं बनती है, तो विभाग के स्तर से ही तारीख तय कर बता दिया जाएगा। फिर इसी तारीख पर मापी होगी। मापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीओ मापी की रिपोर्ट को डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसे संबंधित व्यक्ति डाउनलोड कर सकते हैं। **(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 12.12.2023)**

वंशावली बनाने पर गतिरोध खत्म

पंचायती राज विभाग को सौंपी गई वंशावली बनाने की जवाबदेही

मुख्य सचिव अमीर सुबहानी की पंचायत के बाद वंशावली बनाने की जवाबदेही फिर से पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई है।

इस विभाग को कहा गया कि वह सरपंच या किसी अन्य को वंशावली बनाने के लिए सक्षम प्राधिकार घोषित करे। विवाद के कारण सरकारी जमीन के अधिग्रहण के एवज में किसानों को मुआवजा मिलने में परेशानी हो रही थी।

उम्मीद की जा रही है कि पंचायती राज विभाग जल्द ही सक्षम प्राधिकार की घोषणा कर देगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.12.2023)**

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296